दसवीं पंचवर्षीय योजना
(2002-2007)

खण्ड- II

क्षेत्रकीय नीतियां और कार्यक्रम

सत्यमेव जयते

योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय सूची

I. सिंहावलोकन

1.1 सिंहावलोकन 3

II. मानव एवं सामाजिक विकास

2.1 क्षेत्रकीय सिंहावलोकन 15
2.2 प्रारंभिक शिक्षा 23
2.3 माध्यमिक शिक्षा 41
2.4 व्यावसायिक शिक्षा 47
2.5 उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा 53
2.6 प्रौढ़ साक्षरता और सतत शिक्षा 67
2.7 युवा और खेल कूद 73
2.8 स्वास्थ्य 79
2.9 भारतीय आयुर्विज्ञान एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति 155
2.10 परिवार कल्याण 169
2.11 महिला और बाल 223
2.12 कला और संस्कृति 285

III. सामाजिक तंत्र

3.1 क्षेत्रकीय सिंहावलोकन 293
3.2 ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन : कार्यनीतियाँ और कार्यक्रम 297
3.3 खाद्य और पोषाहार सुरक्षा 323
3.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली 375
3.5 श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा 391

IV. विशेष वर्ग

4.1 सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूह 415
4.2 जनजातियां 457
4.3 अन्य विशेष समूह 493

V. कृषि एवं ग्रामीण विकास

5.1 कृषि 537
5.2 पशुपालन और डेयरी उद्योग 593
5.3 बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि का विकास 607
5.4 खादी एवं ग्रामोद्योग 621
5.5 ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई 627

VI. शहरी विकास

6.1 शहरी विकास 639

6.2 शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुख–सुविधाएं 665

VII. उद्योग एवं सेवाएँ

7.1 उद्योग 697

7.2 खनिज पदार्थ 781

7.3 ऊर्जा 799

7.4 सूचना प्रौद्यौगिकी 847

7.5 पर्यटन 865

7.6 अचल सम्पत्ति 879

7.7 निमार्ण 899

7.8 आंतरिक व्यापार 905

VIII. आधारिक संरचना

8.1 सिंचाई – बाढ़ नियंत्रण और नियंत्रण क्षेत्र विकास 923

8.2 विद्युत 951

8.3 परिवहन 987

8.4 सूचना और प्रसारण 1069

8.5 संचार 1083

XI. वन एवं पर्यावरण

9.1 वन तथा पर्यावरण 1121

X. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

10.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी 1149

परिशिष्ट 1189

भाग - I

सिंहावलोकन

अध्याय 1.1

सिंहावलोकन

1.1.1 दसवीं पंच वर्षीय योजना देश में अगले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दो गुना करने की प्रधानमंत्री की कल्पना और इसी अवधि में रोजगार के 100 मिलियन अवसर सृजित करने के सन्दर्भ में तैयार की गई है। उक्त लक्ष्य निश्चित ही महत्वाकांक्षी है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय जीडीपी की दर घट कर 6 प्रतिशत से कम हो गई है और 1990 के दशक के बाद के पांच वर्षों के दौरान रोजगार सृजन की गति 1.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई है। तथापि यह माना जाता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विकास क्षम है बशर्ते कि निर्दिष्ट अवधि में उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सुधार कार्यान्वित किए जाये।

1.1.2 दृष्टिकोण पत्र में प्रस्ताव किया गया था कि 2012 तक प्रति व्यक्ति आय को दो गुना करने के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले कदम के रूप में दसवीं योजना का 2002-07 की अवधि के लिए जीडीपी को 8 प्रतिशत के औसत विकास का सांकेतिक लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए ग्यारहवीं योजना अवधि में विकास की दर को और बढ़ाकर 9.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष करना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने दसवीं योजना के लिए 8 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य का अनुमोदन करके भारत की अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता में अपने विश्वास की पुष्टि की है।

1.1.3 दृष्टिकोण पत्र में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आयोजना का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता और विकास के उद्देश्यों को मानव कल्याण में वृद्धि के अधिक विस्तृत रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। विकास योजना में इस बातों के महत्व को प्रतिबिम्बित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन बात का अनुमोदन किया है कि 8 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य के अतिरिक्त गरीबी, रोजगार, सामाजिक तथा पर्यावर्णिक सूचकों से सम्बन्धित परिमाणात्मक लक्ष्यों को भी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में समझा जाये।

1.1.4 इस बात पर जोर देना जरूरी है कि मानव विकास से जुड़े योजना के उक्त लक्ष्य, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो भारतीय योजना प्रक्रिया में पहली बार शुरू किये गए हैं, विकास के उद्देश्य से अभिन्न रूप से जुड़े हैं और इनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के बिना सम्भव नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपने बढ़ते हुए श्रम बल को लाभकारी नियमित रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहते हैं और गरीब तथा सुविधांवंचित लोगों की आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उच्च विकास दरें अनिवार्य हैं। यह बराबर सही है कि उच्च दर तब तक स्थायी नहीं बन सकेगी जब तक कि उसके साथ क्रय शक्ति का विस्तार नहीं होगा। क्रय शक्ति के विस्तार से मांग बढ़ेगी जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। इसी प्रकार विकास प्रक्रिया को संधारणीय बनाने के लिए सामाजिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी सूचकों में सुधार करना अनिवार्य है; हालांकि सामाजिक एवं पर्यावरण सूचकांकों में सुधार करने के लिए आवश्यक संसाधन विकास प्रक्रिया के द्वारा ही उपलब्ध होते हैं।

1.1.5 इसके अतिरिक्त, सामाजिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी संकेतकों के सैट के भीतर अन्योन्य सम्बन्ध हैं जिन्हें समुचित मान्यता दी जानी चाहिए। उदाहरणतया पर्यावरणीय निम्नीकरण से लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो सकता है, जबकि जागरूकता जो कि शिक्षा के माध्यम से लाई जा सकती है के बिना पर्यावरणिक सुरक्षा तथा नवीकरण कठिन है।

1.1.6 नियोजन का सारांश यह है कि अलग-अलग दिखाई देने वाले तंतुओं को एक संसक्तिशील तथा सुविचारित नीति सूत्र में पिरोना है जिससे कि सहयोग उत्पन्न हो और विकास की सभी पहलों में अन्तिम उद्देश्य, अर्थात मानव विकास को प्राप्त किया जा सके। वैचारिक रूप से राष्ट्र के लिए जो सामूहिक उद्देश्य तथा लक्ष्य तय किये गये हैं उन्हें उप-लक्ष्यों के दो सैटों के रूप में समझा जा सकता है- सेक्टर सम्बन्धी और क्षेत्र सम्बन्धी जो समूहों के अनुकूल हैं। इस प्रकार स्थूल रूप से कम से कम तीन विस्तृत आयाम हैं जिनमें योजना को प्रस्तुत किये जाने की जरूरत है- राष्ट्रीय समूह, सेक्टर सम्बन्धी अपेक्षाएं तथा राज्यवार विभाजन। इसके अतिरिक्त, लक्ष्यों की पूर्ति के लिये नीतियों के कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा से भी तीन आयामों का आभास होना चाहिए।

1.1.7 उपर्युक्त कारणों से दसवीं पंच वर्षीय योजना को तीन खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम खण्ड में विकास का विस्तृत संदर्श तथा नीति, विकास, निवेश तथा रोजगार से सम्बन्धित मेक्रो-आर्थिक मुद्दे तथा सांस्थानिक रूपरेखा, शासन तथा कार्यान्वयन की विधियों पर कुछ सामान्य विचार दिये गये हैं। यद्यपि संगतता सम्बन्धी अपेक्षाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ विवेचित क्षेत्रों के लिए राज्यवार आंकड़े दिये गये हैं, राज्य स्तर के मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण खण्ड III में किया गया है। इसी प्रकार संगतता के उद्देश्यों से सेक्टर सम्बन्धी कुछ विस्तृत लक्ष्य तथा आवश्यकताएं खण्ड I में दी गई हैं परन्तु अर्थव्यवस्था के प्रत्येक मुख्य सेक्टर का विस्तृत वर्णन इस खण्ड का सार है।

1.1.8 इसलिए खण्ड II में सेक्टर सम्बन्धी नीतियों तथा कार्यक्रमों के विवरण दिये गये हैं जो योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। सेक्टर सम्बन्धी अलग-अलग अध्यायों में वर्तमान नीतियों तथा कार्यक्रमों की संवीक्षा की गई है, कमियों का पता लगाया गया है और कमियों को दूर करने और प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए नई नीतियों और कार्यक्रम सम्बन्धी पहलों का सुझाव दिया गया है। यद्यपि प्रत्येक अध्याय में विशिष्ट कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा स्कीमों के बारे में पर्याप्त विवरण दिये गए हैं, फिर भी इन्हें शिलालेख न समझा जाये। समस्त नियोजन, उभरती हुई प्रवृत्तियों के मूल्यांकन पर आधारित है और आरम्भिक तत्व में इनके समाधान की नीति दी गई है। तथापि, चूंकि योजना के दौरान नई बातें होती रहती हैं, योजना कार्यक्रमों के तत्व तथा रूपरेखा में उपयुक्त परिवर्तन किये जाते हैं और किये जाने चाहिए।

1.1.9 इस अध्याय का उद्देश्य इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों के विषय को सारांशित करना नहीं है और न ही यह एक कार्यकारी सारांश है। इसका मुख्य उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करना है कि सेक्टर सम्बन्धी पहलें खण्ड I में दिये गये नियोजन उद्देश्यों को पूरा करने में किस प्रकार उपयुक्त बैठते हैं। लैंगिक समानता, विकेन्द्रीकरण, शासन तथा सांस्थानिक सुधार जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर जोर देने का भी प्रयास किया गया है जो अलग-अलग अध्यायों में दिये गये विवरणों में छूट सकते हैं। प्रस्तुति तीन विस्तृत उद्देश्यों के इर्द-गिर्द है (क) वृद्धि, गरीबी तथा रोजगार; (ख) सामाजिक विकास तथा जीवन स्तर, और (ग) वृद्धि तथा विकास में स्थायित्व।

वृद्धि, गरीबी तथा रोजगार

1.1.10 योजना के खण्ड I में वृद्धि, इसके सेक्टर सम्बन्धी ढांचे तथा संसाधन की अपेक्षाओं का ब्यौरा दिया गया है। तथापि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि खण्ड I में प्रस्तावित सेक्टर सम्बन्धी वृद्धि की दरें और जो अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि दर को बढ़ाती हैं, केवल मेक्रो-आर्थिक उपायों के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। व्यावहारिक रूप से सभी मामलों में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सेक्टर विशिष्ट कार्य अनिवार्य हैं।

1.1.11 इसके अतिरिक्त, यद्यपि वृद्धि से काफी रोजगार का सृजन होता है और गरीबी घटती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मतभेद और कड़ाई के कारण इन प्रक्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिये दसवीं योजना इस प्रकार तैयार की गई है जिससें एक सेक्टर-विशिष्ट नजरिये से समानता तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत पर विचार किया गया है। इस कार्यनीति के तीन प्रमुख आयाम है ।

(i) कृषि विकास को योजना का प्रमुख तत्व माना जाना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर में वृद्धि होने से सर्वाधिक लोगों को लाभ पहुंचता है, विशेषकर गांवों के गरीब तबके को।

(ii) लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित करने वाले सेक्टरों के द्रुत विकास को सुनिश्चित करना और नीति सम्बन्धी ऐसी बाधाओं को दूर करना जिनसे रोजगार में वृद्धि में कमी आती है। ऐसे सेक्टरों पर विशेष ध्यान देना जिनमें अधिक रोजगार की संभावना है। इन सेक्टरों में कृषि, निर्माण, पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार,, सूचना तकनीक-संचय सेवाएं तथा अन्य नई सेवाएं शामिल हैं।

(iii) विशेष लक्ष्य समूहों पर ध्यान देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रमों के साथ विकास के प्रभाव को पूरक बनाने की सतत आवश्यकता है जिन्हें सामान्य विकास प्रक्रिया से पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचता। ऐसे कार्यक्रम काफी समय से हमारी विकास नीति का हिस्सा रहे हैं और उन्हें दसवीं योजना में जारी रखा जायेगा।

1.1.12 जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, प्रथम और संभवतः सर्वाधिक महत्व का क्षेत्र यह है कि हमारी मौजूदा कृषि भूमि पर ज्यादा गहन फसल उगाई जायें। जलवायु की दृष्टि से भारत भाग्यशाली है जहां लगभग पूरे देश में एक से अधिक फसल सम्भव है। यहां मुख्य समस्या पानी की है। तथापि जल संसाधनों पर भी अत्यधिक दबाव है। पूर्व में सिंचाई क्षेत्र में व्यापक निवेश किये जाने के बावजूद केवल करीब 40 प्रतिशत

कृषि क्षेत्र ही सिंचित हैं। इसके अतिरिक्त रख-रखाव और पुनरुद्धार पर कम खर्च के कारण मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता भी घट रही है। बजट और निम्नकोटि की भूमि पर फसल उगाना भी कृषि विकास को बढ़ाने का एक प्रमुख घटक है। अन्य मुद्दों के साथ-साथ इन दो प्रमुख पहलुओं पर की जाने वाली कार्यवाई पर चर्चा की गई है।

1.1.13 दूसरी प्राथमिकता अन्य ग्रामीण अवस्थापना के विकास को दी जानी चाहिए जिससे न केवल कृषि अपितु गांवों के समस्त आर्थिक कार्यकलापों में मदद मिलती है। ग्रामीण अवस्थापना के सभी रूपों में गांवों में सड़कों का निर्माण बहुत उपयोगी है, इससे देश के लोगों को अधिक अवसर तथा विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह कार्य श्रम प्रधान है और रोजगार सृजन में इसका प्रत्यक्ष योगदान है। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करते समय इस बात ध्यान रखा जाये कि ये गांव को स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों, बाजार, पिछड़े क्षेत्रों, जन जाति वाले क्षेत्रों तथा आर्थिक महत्व वाले क्षेत्रों से जोड़ें। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने तथा गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण के काम में भी तेजी लाई जानी चाहिए।

1.1.14 तीसरा क्षेत्र, जिसकी ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वह कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार है । उच्च संभावना वाली किस्मों/सामग्रियों को विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान, दालों और तिलहनों में वृद्धि के भेद जानना, पौधों और पशुओं में बीमारी की रोकथाम, समुद्री मछली संसाधनों का विकास और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की संभावना की खोज, ध्यान के क्षेत्र हैं। विस्तार प्रणाली में व्यापक रूप से सुधान किया जाना है और कृषि क्लिनिकों के माध्यम से निजी पहलों को बढ़ाने में सहायता दी जानी है। कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और प्रिंट मीडिया का भी गहन उपयोग किया जाएगा। कृषि विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए फसलोत्तर प्रौद्योगिकियों और विपणन आधारसंरचना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ।

1.1.15 तथापि कृषि व्यापार को शासित करने वाले नियमों तथा विनियमों, जो अक्सर किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके प्रोत्साहन ढांचे को विकृत करते हैं, पर पुनर्विचार किये बिना इनमें से कोई उपाए सम्भव नहीं होगा। कुछ आवश्यक उपाए हैं-

- ठेका कृषि को प्रोत्साहन
- प्राइवेट कृषि बाज़ार तथा सहकारी सेक्टरों तथा किसानों द्वारा सीधे विपणन पर उत्पाद विपणन अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना।
- सहकारिताओं की कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्तता के लिए सभी राज्यों द्वारा बहु-राज्य सहकारिता अधिनियम 1984 को अपनाया जाना।
- अनिवार्य वस्तु अधिनियम,1955 में संशोधन करके इसे केवल आपातिक स्थितियों, विशेष अवधि तथा उत्पादों के लिए लागू करना।
- सभी किसानों को ऋण पत्र उपलब्ध कराके ऋण सुविधाओं में वृद्धि करना।

1.1.16 यद्यपि द्रुत तथा निरन्तर कृषि विकास से स्वयं धीरे-धीरे गरीबी हटाने की स्थिति बनेगी, निकट भविष्ट में प्रत्यक्ष रोजगार तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों को जारी रखना जरूरी होगा। तथापि गरीबी निवारण कार्यक्रम में इस प्रकार के परिवर्तन करने होंगे जिससे प्राइवेट तथा सामुदायिक- दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण परिसम्पत्तियों के सृजन में उनका अधिक योगदान हो सके। इसलिये यह प्रस्ताव है कि विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों को तीन मुख्य पहलों में युक्तिसंगत बनाया जाये।

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के माध्यम से स्वरोजगार जिसमें प्रक्रिया-उन्मुखी विधि अपनाई जायेगी और समाज के सहयोग से तथा ग्रुप बनाकर माइक्रो वित्त तथा माइक्रो-ऋण सुविधाएं दी जायेगीं। लैंगिक समानता के उद्देश्य में इस स्कीम का बहुत योगदान होगा क्योंकि स्वयं-सहायता ग्रुपों में महिलाओं की भागीदारी बहुत उत्साहजनक रही है।
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के माध्यम से दैनिक रोजगार, जिसमें ग्रामीण अवस्थापना के सृजन तथा आपदा राहत पर ध्यान दिया जायेगा।
- जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से देश के सर्वाधिक संकट वाले जिलों में गारंटीकृत रोजगार।

1.1.17 तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाये कि इन स्कीमों, विशेषकर बाद की दो स्कीमों की सफलता राज्य स्तर पर मौजूद सार्वजनिक निर्माण ढांचे की प्रभावकारिता पर बहुत निर्भर करती है। दुर्भाग्यवश हाल ही में अधिकतर राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों की स्थिति, बहुत खराब हो गई है और जिन आदेशों के अधीन उनकी स्थापना की गई थी उन मूल आदेशों को फिर से स्थापित करने के प्रयास करने होंगे।

1.1.18 सकल घरेलू उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि के दसवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक सेक्टर में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। यह लक्ष्य इस सेक्टर के पिछले निष्पादन से काफी अधिक है। इसलिए दसवीं योजना में एक ऐसी औद्योगिक नीति पर जोर देना होगा जिसमें प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियां, जिनमें वे कम्पनियां भी शामिल हैं जो पहले सार्वजनिक थीं, अधिक कुशल तथा प्रतियोगी बन सकें। एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा यह है कि जो औद्योगिक उदारीकरण केन्द्रीय स्तर पर व्यापक रूप से कार्यान्वित किया गया है उसे राज्य स्तर पर भी कार्यान्वित किया जाये। औद्योगिक क्षेत्र की यह आम शिकायत है कि राज्य स्तर पर विनियम बहुत जटिल हैं जिससे उद्यमियों को कदम-कदम पर परेशानी होती है। इस प्रणाली द्वारा थोंपी गई करोबार सम्बन्धी लागत जिसमें विनियमों की भरमार के कारण उत्पन्न भ्रष्टाचार पर होने वाला खर्च भी शामिल है बहुत अधिक है। लघु उद्योगों पर ये विशेष रूप से बोझ बने हुए हैं। इस क्षेत्रों में भारी फेर-बदल की आवश्यकता है।

1.1.19 औद्योगीकरण की प्रक्रिया में और उद्यमशीलता को समृद्ध बनाने और नए उद्यमियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करके विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के प्रसार में लघु उद्योग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। चूंकि लघु उद्योगों में बड़ी उद्योगों की तुलना में प्रति पूंजीगत यूनिट अधिक रोजगार उपलब्ध होता है, वे एक चिर अपेक्षित रोजगार का साधन भी हैं। विशेषकर खादी ग्रामोद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है विशिष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देने में। लघु उद्योगों के लिए कुछ उत्पादों के आरक्षण की नीति पर भी फिर से विचार करने की जरूरत है। तथापि ऐसा करते समय रोजगार पर पड़ने वाले असर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंक इस समय रोजगार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। लघु उद्योगों के लिऐ निवेश की सीमा बढ़ाने में तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता दी जाये जबिक कुछ समय के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाई जाये।

1.1.20 इस बात को भी अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि बड़े तथा लघु उद्योगों के बीच हमेशा विरोध नहीं होता और बहुत बार वे एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। तथापि कितनी ही नीतिगत विकृतियां हैं जो इस प्रकार की अनुपूरकता में बाधा पहुंचाती हैं, अपितु इन्हें रोकती भी हैं। भारत में आनुषंगिकता यद्यपि हाल के वर्षों में बढ़ रही है परन्तु यह क्षमता से बहुत कम है। इस सम्बन्ध में रुकावट पैदा करने वाली नीतियों का पता लगा कर उन्हें हटाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लघु उद्योगों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो।

1.1.21 निर्माण उद्योग विकास तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन है विशेषकर आवास निर्माण जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। बहुत सी नीतिगत रुकावटों से इस क्षेत्र की क्षमता में कमी आई है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसके लिऐ कुछ मुख्य उपाय हैं-

- सभी राज्यों में शहरी भूमि सीमा अधिनियम को निरस्त किया जाये।
- नये किरायेदारों के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करना और मौजूदा किरायेदारों के लिए माडल किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना
- भूमि के उपयोग को सीमित करने वाले पुराने म्यूनिसियल नियमों तथा विनियमों का संशोधन
- सम्पत्ति कर तथा स्टाम्प शुल्क दारों को युक्तिसंगत बनाना
- भूमि/सम्पत्ति पंजीयन की प्रणाली का सरलीकरण और आधुनिकीकरण

1.1.22 जहां तक सेवा सेक्टर का सम्बन्ध है, सबसे बड़े दो, व्यापार तथा परिवहन इस समय मुख्यतः कृषि तथा उद्योग के उत्पादन सेक्टरों में होने वाले विकासों द्वारा संचालित हैं और इसमें सन्देह नहीं कि इनकी गति बनी रहेगी। तथापि देश में पर्यटन के समुचित विकास के माध्यम से कितने ही सेवा क्षेत्रों में पर्याप्त अतिरिक्त गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। यद्यपि इस समय कुल पर्यटन कार्यकलाप काफी व्यापक है परन्तु अपनी क्षमता से बहुत कम है विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में। इस सेक्टर के विकास के लिए एक एकीकृत, अन्तर सेक्टरीय पहुंच की आवश्यकता है जो दुर्भाग्यवश आज नहीं है। इसलिए इस सेक्टर में प्राइवेट निवेश की मौजूदा रुकावटों को न केवल दूर करना जरूरी है अपितु विश्व स्तर के पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए सरकार और प्राइवेट साझेदारी भी आवश्यक है।

1.1.23 अन्य सेवा सेक्टर जिसका निष्पादन इस समय अच्छा है वह हैः सूचना, संचार तथा मनोरंजन (आईसीई) और आशा है कि हमारी निहित मजबूती के कारण भविष्य में इसका निष्पादन अच्छा बना रहेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान देना होगा कि इस सेक्टर की न केवल अवस्थापना सम्बन्धी जरूरते पूरी हों अपितु प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रणाली द्वारा उसकी मानव संसाधन विकास तथा कौशल सम्बन्धी आवश्यकताएं भी पूरी हों। दूसरी जरूरी बात यह है कि इस समय इसके लाभ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है।

1.1.24 अधिकतर अन्य सेवा सेक्टरों का उल्लेख समाज सम्बन्धी विकास खण्ड में किया गया है परन्तु कहना होगा कि आगामी वर्षों में विकास तथा रोजगार में इन सेक्टरों का पर्याप्त अनुपात होगा और उनकी निवेश तथा अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

1.1.25 दसवीं योजना में जीडीपी के विकास की गति में अधिक वृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयास में ऊर्जा एवं परिवहन अवस्थापना एक मुख्य बाधा होगी। क्योंकि ये खरीदी जा सकने वाली सेवाएं नहीं है, इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए देश में इनके उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। इसके अतिरिक्त विश्व के प्रतियोगी वातावरण में इन सेवाओं का स्तर और लागत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इनकी उपलब्धता और इन दोनों के विकाक्षम बारे में ही हमारे सामने गंभीर समस्यायें हैं।

1.1.26 स्थितियों में सुधार के लिए, सरकार ने इस उम्मीद से विद्युत उत्पादन में प्राइवेट निवेशकों को आमंत्रित किया था कि प्राइवेट निवेश से कमी पूरी हो जायेगी। तथापि जल्दी ही पता चल गया कि ऐसे वातावरण में भारी प्राइवेट निवेश को आकर्षित नहीं किया जा सकता जहां स्वतंत्र बिजली उत्पादक को सार्वजनिक क्षेत्र के वितरक को बिजली बेचनी हो, जो खरीदी गई बिजली का भुगतान करने की स्थिति में ही न हो। इसका परिणाम यह रहा कि प्राइवेट निवेश लक्षित स्तर से बहुत कम प्राप्त हुआ। क्योंकि नौवीं योजना में राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक समस्याएं बहुत बढ़ गई और राज्य सरकारें बिजली सेक्टर में गंभीर सुधार नहीं करती, जिनमें सेक्टर को वित्तीय दृष्टि से विकासक्षम बनाने के लिए विशेषकर बिजली का वितरण शामिल है, बिजली बोर्डों की वर्तमान स्थिति बनी रहने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सौभाग्यवश इस क्षेत्र में जो कुछ करने की जरूरत है उसके बारे में मतैक्य बन रहा है और कुछ राज्यों ने सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानूनों में परिवर्तन करके और निवेश की आवश्यकताओं में मदद द्वारा केन्द्रीय सरकार को इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देना होगा। विशेषकर बिजली बिल 2001 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल 2000, शीघ्र पारित किये जाने की आवश्यकता है।

1.1.27 प्राइमरी ऊर्जा साधनों के रूप में बिजली उत्पादन का सर्वोत्तम मिश्रण बिजली सेक्टर की दीर्घकालीन योजना के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। थर्मल तथा हाईड्रो-बिजली के बीच जो संतुलन था, पिछले वर्षों के दौरान हाइड्रो-बिजली के विपरीत चला गया। अब कुल बिजली उत्पादन में हाइड्रो बिजली केवल 24 प्रतिशत है जबकि एक आदर्श स्तर इससे कहीं ऊंचा है। पुनः संतुलन बनाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। हाइड्रो-बिजली कार्बन नहीं छोड़ती, भारी कमी की स्थिति से निपटने के मामले में भी यह उपयुक्त है। भारत में हाइड्रो संसाधन हैं जिन्हें अभी तक काम में नहीं लाया गया है तथा यद्यपि इन संसाधनों को काम में लाने में पर्यावरण सम्बन्धी रुकावटें हैं, इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है, साथ ही पर्यावरण की हानि नहीं होने देनी है और समुचित पुनर्वास मुआवजे की निश्चित आवश्यकता है।

1.1.28 परमाणु ऊर्जा, बिजली का अन्य प्रमुख साधन है इसके पर्यावर्णिक लाभ हैं और यह किफायती भी है। इस समय कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा मात्र 2.4S है। यह बहुत कम है। परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। एक विस्तारित कार्यक्रम से निर्माण लागत को कम करना भी संभव हो सकेगा।

1.1.29 भारत के महाद्वीपीय आकार, भूगोल तथा संसाधन सम्पदा को ध्यान में रखते हुए, यह स्वाभाविक है कि परिवहन सेक्टर में रेलवे की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए- अधिक ऊर्जा कुशलता, परिस्थितिकी सामंजस्य और सापेक्ष सुरक्षा आदि अन्य मुद्दों की तो बात ही नहीं। तथापि सड़क परिवहन प्रणाली की तुलना में भारतीय रेलवे की स्थिति में लगातार गिरावट हुई है। सड़क परिवहन के हिस्से में कुछ कमी की आशा थी तथा अन्यत्र प्रवृत्तियों के अनुरूप विचाराधीन हैं, परन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि भारत में यह बहुत ज्यादा रहा है। यह मुख्यतः नीतिगत विकृतियों के कारण हुआ है जिनमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है।

1.1.30 सबसे प्रमुख नीतिगत विकृति विषम शुल्क नीति है जो सामान्य यात्री किराये को कम रखने के लिए अधिक भाड़ा वसूल करती है। यात्री किराये में सहायता देने को आर्थिक अथवा सामाजिक आधार पर पूर्ण रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सहायता का लाभ उठाने वाले यात्री गरीब ही हैं। इसके साथ निवेश नीति है जिसमें यात्री यातायात के लिए नई लाइनें खोलने पर ज्यादा जोर दिया गया है और उन क्षेत्रों में क्षमता के विस्तार पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया जहां वाणिज्यिक यातायात की क्षमता है। इसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे की वित्तीय हालत खस्ता हो गई और वह रेल परिवहन सेवाओं में सुधार करने के लिए जरूरी निवेश करने में असमर्थ हो गया। इस सेक्टर में प्रमुख पहलें हैं-

- एक रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

- नेटवर्क का विस्तार करने से पहले अधिक भीड़-भाड़ वाले गलियारों की क्षमता बढ़ाना
- परिवहन सेवाएं प्रदान करने के मुख्य कार्यकलाप पर जोर देना और सभी बाह्य कार्यकलापों को समेटना।

1.1.31 भारत का सड़क नेटवर्क एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी वातावरण में द्रुत विकास की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है जिसमें भारतीय उद्योगों को सक्रिय रूप से अन्य विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धी कर सकें। इसलिये दसवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, गोल्डन क्वाडरी लेटरल और उससे जुड़ी उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजनाओं को पूर्ण करने को भी उच्चतम प्राथमिकता दी गई है, परन्तु भविष्य में उन खण्डों पर बनाये जाने वाले तीव्रगति मार्गों के लिए योजना बनाना और आरम्भिक कार्रवाई करना जरूरी है जिन खण्डों पर ऐसा करना वाणिज्यिक रूप से उचित है।

1.1.32 चिन्ता के कई क्षेत्र हैं जो सड़क परिवहन प्रक्रियाओं की कुशलताओं को प्रभावित करते है। इनमें शामिल हैं अधिक कुशल बनाने के लिये राज्य सड़क परिवहन निगमों में सुधार करने की जरूरत, सड़क परिवहन कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाना जो लागत प्रभावी सड़क परिवहन प्रणालियों में मदद देगा, ट्रकों में अधिक भार लादने पर रोक, गैर कानूनी कब्जों और अव्यवस्थित पट्टी विकास की रोकथाम तथा सड़कों की सुरक्षा में सुधार। सभी अनावश्यक नीतिगत तथा कार्यविधि सम्बन्धी रुकावटों को हटाने पर विशेष जोर देने की जरूरत है जिससे सड़क सुरक्षा के बारे में कोई कमी किये बिना सड़क परिवहन प्रक्रियाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा मिले।

1.1.33 सिविल विमानन सेक्टर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे-जैसे अर्थ व्यवस्था उच्चतर मूल्य वर्धित उत्पादों की तरफ अग्रसर होती है वैसे-वैसे विशेषकर कृषि में, उत्पादों की ढुलाई देश के भीतर और बाहर वायुयानों द्वारा की जायेगी और इसके लिए उत्पादों का अनुपात बढ़ता रहेगा। इसके अतिरिक्त देश के दूर दराज के और बिना यातायात की सुविधाओं वाले क्षेत्रों को जब इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी तो वे अपनी वास्तविक विकास क्षमता का लाभ उठा सकते हैं जैसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र। इसलिये विमानन नीति, तथा नियोजन की फिर से जांच की जाये जिससे इसे देश की उमड़ती हुई जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके।

1.1.34 दूर संचार, अवस्थापना का एक प्रमुख हिस्सा है और वैश्वीकरण की प्रवृत्ति और जानकारी आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ अन्तरण के कारण यह अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिये दसवीं योजना में दूर संचार नीति को सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे जुड़े सेक्टरों को उचित दरों पर विश्व स्तर के दूर संचार प्रदान करने चाहिए। प्रौद्योगिकी तथा लागत सम्बन्धी लाभों के कारण इंटरनेट टेलीफोनी खोली जानी चाहिए। लागत आधारित मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता तथा सहायताओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने के उद्देश्य से शुल्क पुनर्संतुलन, शुल्क निर्धारण के लिये निदेशक सिद्धांत होने चाहिये। डाटा अभिसरण, ध्वनि तथा छवि प्रेषण तथा वाइड बैंडविड्थ तथा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से नए आयाम जुड़े हैं जिन पर नीति शासन प्रणाली में विचार किया जाना चाहिए। कम से कम खर्च पर संसाधनों के उपयोग को इष्टतम करने और देश में सवाओं और सेवा प्रदान करने वालों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिये सेवाओं के अभिसरण और एकल लाइसेंस प्रणाली की आवश्यकता है।

सामाजिक विकास तथा जीवन स्तर

1.1.35 दसवीं योजना के अधिकतर अनुवीक्षणीय लक्ष्य विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में सामाजिक संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधारों से सम्बन्धित हैं। ये न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, अपितु विकास तथा रोजगार सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति से इनका महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। उक्त सेक्टर अत्यधिक रोजगार प्रधान है और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेषकर उपयुक्त समझे जाते हैं। इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में कुछ समय के लिए सार्वजनिक निवेश की स्थिति नाजुक रहेगी परन्तु सेवाओं के स्तर में सुधार करने के प्रयास किये जाने हैं।

1.1.36 सरकार के कार्यों का पर्याप्त विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है जो बहुत सी मुख्य सेवाओं के परिदाय के लिये हानिकारक है। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन की भावना का बहुत से राज्यों में पालन नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब तक इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण कार्यों तथा संसाधनों-दोनों रूपों में प्रभावी नहीं होगा तब तक सुधार सम्भव नहीं होगा। परन्तु विकेन्द्रीकरण, पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के स्तर पर नहीं थम सकता। स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितियों, जैसे सिविल समाज संगठनों में सेवाओं के परिदाय की व्यापक क्षमता है और कार्यों तथा प्राधिकार के हस्तातंरण के माध्यम से इन सम्भावनाओं का लाभ अवश्य उठाया जाना चाहिए।

1.1.37 शिक्षा के क्षेत्र में निष्पादन भारत की विकास नीति के अत्यधिक निराशाजनक पहलुओं में से एक है। 6-14 वर्ष के

आयु वर्ग के लगभग 200 मिलियन बच्चों में से केवल 120 मिलियन बच्चे स्कूल जा रहे हैं और प्राथमिक स्तर पर जिन बच्चों के नाम स्कूल में लिखे हैं उनमें से केलव 66 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति पाई गई है। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और दसवीं योजना में इस स्थिति में आमूल परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। इसका मुख्य जरिया सर्व-शिक्षा अभियान है जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया जा रहा है और जिसका लक्ष्य दसवीं योजना के अंत तक सभी को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

1.1.38 यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करके जो बच्चे बाहर निकलते हैं उनके लिये उपबन्ध किया जाये जिससे स्कूल से निकल कर काम पर लगने तक की अवधि में कम से कम रुकावट हो। इसके लिये माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देकर उन्हें अलग-अलग स्थलों पर भेजना जरूरी है। चूंकि दसवीं योजना की अवधि में अधिकतर सार्वजनिक संसाधनों को प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च किया जायेगा, प्राइवेट सेक्टर, धर्मादा न्यासों तथा धार्मिक निकायों को इस क्षेत्र में आने के लिये अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि माध्यमिक स्तर के बच्चों को ग्यारहवीं योजना के लिए पब्लिक स्कूलों में भेजने की योजनाएं अवश्य बनाई जानी चाहिए।

1.1.39 यदि शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं जैसा कि देश के बहुत से भागों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तो केवल स्कूलों की स्थापना तथा शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि स्कूलों तथा शिक्षकों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दी जाये जिनकी शिक्षकों के निष्पादन में प्रत्यक्ष रुचि होती है। नियोजन, पर्यवेक्षण तथा शिक्षा का प्रबन्धन जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तरों पर स्थानीय निकायों के माध्यम से करना होगा। प्रौढ़ साक्षरता अभियानों तथा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के काम में स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के प्रयास भी किये जाने चाहिये।

1.1.40 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा सेक्टर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है और बहुत से विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, यह चिन्ता का विषय है कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ जाने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण, परीक्षा सुधारों और विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के शासन के मामलों पर अधिक ध्यान देने से जुड़े सभी मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों के सामने यह भी समस्या है कि सरकार की तरफ से बजट संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती। चूंकि बजट संसाधन सीमित हैं और जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये आबंटित किये जाने की आवश्यकता है; यह स्वीकार करना होगा कि विश्वविद्यालयों को सरकार से प्राप्त संसाधनों को पूरा करने के प्रयास करने पड़ते हैं। तथापि इंडियन इंस्टीटूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), अन्य इंजीनियरी कालिजों तथा पालिटेक्नीकों के स्तर में सुधार करने के लिये धन की व्यवस्था बाहरी संसाधनों से की जा सकती है।

1.1.41 देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों में आबादी के स्वास्थ्य में सुधार मुख्य रूप से ध्यातव्य क्षेत्र रहा है। इसके लिये यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषण सेवाएं, विशेषकर कम सेवित और सुविधा वंचित लोगों को उपलब्ध हों। टेक्नोलॉजी सम्बन्धी सुधारों तथा स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार होने से मुत्यु दर में बहुत कमी आई है। परन्तु संचारी रोगों, असंचारी रोगों, पर्यावरणिक प्रदूषण तथा पौषण समस्याओं के कारण बीमारियों का भारी बोझ बना हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि अवस्थापना तथा मानवशक्ति के सृजन के बारे में देश भर में एक जैसे मानदण्ड हैं, अलग-अलग राज्यों व एक राज्य के भीतर अलग-अलग जिलों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता और इनके उपयोग और लोग के स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकांको में बहुत भिन्नता बनी हुई है।

1.1.42 इस बात की वचनबद्धता जारी रहेगी कि अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, आपातिक जीवन रक्षा सेवाएं, राष्ट्रीय बीमारी रोकथाम कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत सेवाएं लोगों को निःशुल्क उनकी जरूरतों के आधार पर प्रदान की जाती रहेगी न कि उनकी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर। इसके साथ गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों पर प्रभार लगाने, उन्हें एकत्र करने और प्राप्त निधियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवा में इस्तेमाल करने के बारे में उपयुक्त नीतियां बनानी, जांचनी और कार्यान्वित करनी होगी।

1.1.43 स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में दसवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिनव परिवर्तन होंगे-

- स्वास्थ्य परिचर्या में धन लगाने की वैकल्पिक प्रणालियों का लाभ उठाना
- स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था के लिए जिला-आधारित अलग नीति
- ईंडियन सिस्टम ऑफ मैडीसिन और होम्योपैथिक (आईएसएम एण्ड एच.) व्यावसायियों को मुख्य-धारा में जोड़ना।

1.1.44 अस्पतालों की खराब स्थिति का एक मुख्य कारण

यह है कि विभिन्न श्रेणियों के जो कार्मिक वहां तैनात किये जाते हैं वे गैर-हाजिर होते हैं। यह अनिवार्य है कि पंचायत राज संस्थाओं को उपयुक्त शक्तियां प्रदान की जाये जिससे कि लोक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वालों की स्थानीय जबावदेही बन जाये और खराब निष्पादन से सम्बन्धित समस्याओं को स्थानीय तौर पर निपटा लिया जाये।

1.1.45 देश के शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर की स्थिति से सम्बन्धित मुद्दा उपेक्षित रहा है। यद्यपि पहले बहुत बड़े शहरों तथा छोटे नगरों पर कुछ ध्यान दिया गया है तथापि बड़े नगरों तथा कस्बों को नजरन्दाज किया गया। दसवीं योजना के दौरान इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान के लिये विशिष्ट उपाए प्रस्तावित हैं-

- शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि
- अवस्थापना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहर चुनौती निधि की सुलभता
- मार्किट संसाधनों की सुलभता के लिए छोटे स्थानीय निकायों के लिये पूल वित्त विकास सुविधा
- सांस्कृतिक महत्व को शहरों का जीर्णोद्धम

1.1.46 पूरे देश के सामाजिक विकास के लिए योजना बनाते समय इस तथ्य का संज्ञान लेना होगा कि हमारी आबादी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सुविधाओं का पूरा लाभ न उठा सकते हों या उनकी जरूरतें अलग प्रकार की हों। महिलाओं तथा बच्चों और सुविधावंचित वर्गों की अपेक्षाओं को विशिष्ट रूप से पूरा करना है।

1.1.47 महिलाओं तथा बच्चों को विशेष रूप से घर के भीतर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें स्वीकार करना होगा और दूर करना होगा। प्रस्ताव है कि दसवीं योजना में निम्नलिखित उपाए किए जायें-

- महिलाओं के संशक्तीकरण की नीति लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा चार्टर
- बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग
- राष्ट्रीय पौषण मिशन
- अल्प पोषित गर्भवती महिलाओं; बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों को अनाज देने के लिए अग्रणी योजना।

1.1.48 सामाजिक सुविधाओं से वंचित ग्रुपों, जिनमें जन जातियां शामिल हैं, जिनकी अपनी खास जरूरते हैं, उनके लिये दसवीं योजना के दौरान निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं-

- सामाजिक न्याय के लिये एक राष्ट्रीय चार्टर बनाना
- 2007 तक हाथ से सफाई करने को खत्म करना
- आदिम जनजाति ग्रुपों की सुरक्षा तथा विकास के लिए राष्ट्रीय योजना।
- जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति तथा कार्रवाई योजना

1.1.49 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विकलांगों के लिए एक विशेष घटक योजना, नशे की लत वालों के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून बनाना होगा।

वृद्धि तथा विकास की संधारणीयता

1.1.50 कृषि विकास केवल वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह विकास प्रक्रिया को संधारणीयता के लिये भी आवश्यक है इसे स्वीकारते हुये, योजना में प्रस्ताव है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर भूमि तथा जल के जारी रहने वाले विकास पर बल दिया जाये। क्रमिक पंच वर्षीय योजनाओं में सिंचाई में सार्वजनिक निवेश की मात्रा बहुत घटा है। यह केन्द्र तथा राज्यों में संसाधनों की कमी के कारण हुआ है। तथापि केवल संसाधन ही केवल एक समस्या नहीं हैं। सम्भावित सिंचाई परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो या तो अधिक कठिन हैं अथवा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुग्राही हैं जिससे नई सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करना कठिन हो जाता है। दसवीं योजना का लक्ष्य सिंचाई की बड़ी तथा मझौली क्षमता को फिर से कायम करना और जल विभाजक विकास तथा लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की सम्भावनाओं पर भी ध्यान दिया जायेगा। बेहतर तथा अधिक सहभागिता वाले प्रबन्धन के माध्यम से सिंचाई की वर्तमान अवस्थापना की कुशलता में सुधार करने की भी काफी गुंजाइश है।

1.1.51 कुछ उपाय, जिनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, नीचे दिये गये हैं-

- वर्षापोषित तथा निम्नीकृत क्षेत्रों के लिए संदर्शी योजना का विकास
- वर्षा के पानी को इकट्ठा करना तथा उसका संरक्षण

- पानी का बेहतर उपयोग, जिसमें भूजल सम्भावना का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है
- जैव खेती
- बंजर तथा निम्नीकृति भूमि के उपयोग पर बल
- फसल प्रणालियों का विविधीकरण

1.1.52 जहां तक शासन के मामलों का सम्बन्ध है, दसवीं योजना में भूमि तथा जल प्रबन्धन में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। इसके अनुपालन के लिए दो निम्नलिखित पहले हैं-

- संरक्षण तथा उत्पादन प्रणालियों के समेकन पर जोर देने के साथ-साथ निम्नीकृत तथा बंजर भूमि के समग्र विकास के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण भू तथा जल विभाजक मिशन।
- लोगों की सहभागिता से बंजर भूमि को हरा भरा करने के सम्बन्ध में एक नई योजना।

1.1.53 वन प्राकृतिक सम्पदा है और अर्थव्यवस्था के लिये बहुत लाभदायक हैं। रिकार्ड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है परन्तु इसमें से 41 प्रतिशत निम्नीकृत है और इसलिये यह भाग पर्यावरण को बनाये रखने और लोगों, उद्योग तथा अन्य सेक्टरों की वन उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता।

1.1.54 वानिकी विकास में जो समस्यायें और बाध्यकारिताएं हैं उनमें शामिल हैं- वनों की बहु प्रयोजन भूमिकाओं तथा लाभों के बारे में जानकारी की कमीं; प्रबन्धन तथा लोगों की जीविका सुरक्षा के बीच सम्पर्क का अभाव, निम्नस्तर की प्रौद्योगिकी, अपर्याप्त अनुसंधान तथा विस्तार, कमजोर नियोजन सक्षमता, फसल कटाई तथा प्रसंस्करण में अनाज की बरबादी, मार्किट सम्बन्धी कमियां; सरकारी भूमिका तथा नियन्त्रण पर आवश्यकता से अधिक बल, लोगों तथा गैर-सरकारी संगठनों की कम सहभागिता, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की कमी, पेड़ काटने, लोगों द्वारा उगाये गये वन उत्पादों के परिवहन तथा विपणन पर अनावश्यक रोक, अन्तर सेक्टर समन्वय की कमी तथा सरकारी वन प्रशासन की कमजोरियां तथा परस्पर विरोधी भूमिका।

1.1.55 वृद्धि और रोजगार उत्पन्न करने में पर्यटन के महत्व का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी है कि पर्यटन कार्यकलापों के बढ़ने से अनावश्यक सामाजिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न न हों। इस प्रकार, पर्यटन के निरन्तर विकास और पर्यटन उद्योग, उपभोक्ता तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये कानून तथा नियामक ढांचा बनाना होगा।

1.1.56 विकास को बनाये रखने के विस्तृत मुद्दे के बहुत से आयाम हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन सेक्टरों द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण से जुड़े हैं। विभिन्न कानूनों तथा विनियमों द्वारा इनका समाधान किया गया है और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि बेहतर शासन के माध्यम से इनको ठीक प्रकार से लागू किया जाये।